

जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा

समाहरणालय भवन, 'सी' ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, खुँटीटोली, सिमडेगा।


Email Id- simdegamd@gmail.com फ़ैक्स & फोन नं० 06525-226448


शिक्षक नियुक्ति में उम्र से संबंधित सूचना

सचिव मानव संसाधन विकास विभाग झारखण्ड रांची के अधिसूचना संख्या 8/नि01-01/2014 1388 दिनांक 22.06.2015 के आलोक में झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 के आलोक में पारा शिक्षको के मामले में सभी कोटि के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 50 वर्ष की होगी अधिकतम उम्र सीमा में एक अवसरीय रूप में छुट निम्नवत है।

1- इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर द्वितीय बार की नियुक्ति में सभी कोटि के अभ्यर्थियों (पारा शिक्षको सहित) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 7 वर्षों की छुट प्रदान की जायेगी।

2- स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर प्रथम बार की नियुक्ति में सभी कोटि के अभ्यर्थियों (पारा शिक्षको सहित) को उनके कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा 7 वर्षों की छुट प्रदान की जायेगी।


जिला शिक्षा अधीक्षक
सिमडेगा।


उपायुक्त, सिमडेगा
सिमडेगा।